रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1996/चैत्र 5, 1918
No. 74] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1996/CHAITRA 5, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 353 (पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1996

सं.पी.आर.यू./एचबी/17/92—97—निर्यात और आयात नीति, 1992—97, यथासंशोधित, के पैरा-16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1), 1992—97, यथासंशोधित, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. प्रक्रिया-पुस्तक के अध्याय-8 स्कीम क मे च के तहत आभूषणों के निर्यातकों को स्वर्ण/चांदी उपलब्ध कराने हेतु आयात के लिए नामित एजेंसियों में राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) का नाम जोड़ दिया जाता है। तदनुसार प्रक्रिया

के अध्याय-8 के तहत स्कीम क से च में शब्दों "एचएचईसी/एस बी आई/एमएमटी सी" के बाद/एम टी सी को जोड़ दिया जाएगा।

2. प्रक्रिया-पुस्तक (खंड-1) में जहां कहीं भी शब्द "नियंत्रक, आयात और निर्यात" आया है उन्हें संशोधित करके "विदेश व्यापार विकास अधिकारी" पढ़ा जाएगा।

3. परिशिष्ट-ग में पत्रबद्ध के परिपत्र के पहले पष्ठ पर निम्नलिखित को पैरा-1 के तौर पर शामिल किया जाएगा :—

"1. आयातक-निर्यातक कोड संख्या————————परिणामतः पैरा संख्या 1, 2 और 3 की संख्या बदल कर 2, 3 और 4 हो जाएगी।

इसे 30 अप्रैल, 1995 को जारी की गई प्रक्रिया-पुस्तक (खंड-1) में शामिल माना जाएगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NTOICE NO 353/(PN)/92—97

New Delhi, the 25th March, 1996

F.No. PRU/HB/17/92—97 :—In exercise of the powers conferred under Paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992—97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following, amendments in the Hand book of Procedures (Volume I), 1992—97 as amended:-

1. In Chapter VIII of Hand Book of Procedures, the name of State Trading Corporation (STC) shall be added as one of the nominated agencies for import of gold/silver for serving the jewellery exporters under Scheme A to F. Accordingly, '/STC' shall be added after the words 'HHEC/SBI/MMTC' in Schemes A to F under Chapter VIII of the Procedures.

2. The words 'Controller of Imports and Exports' whereever appearing in the Hand Book Procedures (Vol.1) shall be amended to read as 'Foreign Trade Development Officer'.

3. On the first page of the format of the Pass Book as appearing Appendix XVIII-C, following shall be incorporated as paragraph 1 :

'1. Importer-Exporter Code Number—————————————————'

Consequently paragraph No. 1, 2 and 3 shall be renumbered as 2, 3 and 4.

This shall be deemed to have been incorporated in the Hand Book of Procedures (Vol. 1) issued on 30th April, 1995.

4. This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996